Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जयपुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता, अधिशासी अभियंता एवं सहायक अभियंता 10 लाख रूपये रिश्वत के रूप में लेते–देते पकड़ा**
- **विभागीय नोटिस को फाईल करने की एवज में हो रहा था लेन–देन**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *06 सितम्बर, बुधवार*/ ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी जयपुर नगर प्रथम इकाई द्वारा आज मुख्यालय द्वारा विकसित सूत्र–सूचना पर जयपुर में कार्यवाही करते हुये **सुबोध कुमार मलिक मुख्य अभियंता**, (भवन) सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर को निर्माण नगर, जयपुर स्थित उसके आवास पर **जितेन्द्र कुमार जैन अधिशासी अभियंता**, सा.नि.वि. डूंगरपुर से **अनंत कुमार गुप्ता सहायक अभियंता**, एन.एच. सा.नि.वि., बांसवाड़ा के माध्यम से **10 लाख रुपये** की रिश्वत राशि लेते–देते पकड़ा है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. मुख्यालय को एक सूत्र–सूचना इस आशय की प्राप्त हुई कि **जितेन्द्र कुमार जैन अधिशासी अभियंता**, सार्वजनिक निर्माण विभाग, डूंगरपुर को दिये गये विभागीय स्पष्टीकरण/नोटिस में कोई कार्यवाही नहीं कर, नोटिस को फाईल करने की एवज में **सुबोध कुमार मलिक मुख्य अभियंता**, (भवन) सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर द्वारा **अनंत कुमार गुप्ता सहायक अभियंता**, एन.एच. सा.नि.वि., बांसवाड़ा के माध्यम से **10 लाख रुपये** की रिश्वत राशि मांग की जा रही है तथा इनके बीच रिश्वत राशि का लेनदेन होने की पूर्ण संभावना है।

जिस पर एसीबी जयपुर के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री रणधीर सिंह** के सुपरवीजन में एसीबी मुख्यालय द्वारा सूत्र–सूचना को विकसित किया गया। सूत्र–सूचना एवं निगरानी से प्राप्त सूचनाओं पर एसीबी की जयपुर नगर प्रथम इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री आलोक शर्मा** एवं एस.आई.डब्ल्यू इकाई, जयपुर के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री ललित किशोर शर्मा** के निर्देशन में आज **पुलिस निरीक्षक श्री हेमन्त वर्मा** द्वारा मय टीम के सुबोध कुमार मलिक मुख्य अभियंता, (भवन) सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर के निर्माण नगर, जयपुर स्थित उसके आवास पर ट्रेप कार्यवाही करते हुये 1–**सुबोध कुमार मलिक** पुत्र श्री डी.पी.मलिक निवासी 116, शांतिनगर, निर्माण नगर, अजमेर रोड़, जयपुर हाल मुख्य अभियंता, (भवन) सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर 2–**जितेन्द्र कुमार जैन** पुत्र श्री छोटेलाल निवासी 187, गली नं. 9, आदर्शनगर, डूंगरपुर हाल अधिशासी अभियंता, सा.नि.वि. डूंगरपुर एवं 3–**अनंत कुमार गुप्ता** पुत्र श्री रमन लाल गुप्ता निवासी ए–40, माही सरोवर कॉलोनी, हेमू कालानी सर्किल के पास, बांसवाड़ा हाल सहायक अभियंता, एन.एच. सा.नि.वि., बांसवाड़ा को **10 लाख रूपये** रिश्वत राशि लेते–देते पकड़ा गया है।

एसीबी के उप महानिरीक्षक पुलिस श्री रणधीर सिंह के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।